संख्याः 317/आठ–4–08–02एन/04

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनभाग–4 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2008

विषयः नजूल भूमि पर अवैध कब्जे को फ्री–होल्ड कर विनियमित किये जाने की व्यवस्था समाप्त किये जाने के फलस्वरूप आवेदन पत्रों का निरस्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्याः 1642/8–06–137एन/04, दिनांक 04.08.2006 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा यह मार्गदर्शन/निर्देश चाहे गये हैं कि उक्त प्रसंग में लम्बित आवेदन पत्रों और अवैध कब्जे की नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने हेतु जमा स्वमूल्यांकन व डिमाण्ड नोट की धनराशि के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.08.2006 द्वारा अवैध कब्जे की नजूल भूमि को फ्री–होल्ड कर विनियमित किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है, अतः तत्सम्बन्धी ऐसे सभी प्रकरणों, जिसमें फ्री–होल्ड विलेख की रजिस्ट्री नहीं हुई है, के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाय और रूपये 500.00 प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करते हुए, जमा 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन की धनराशि व डिमाण्ड नोट की धनराशि वापस किये जाने का सुस्पष्ट प्रस्ताव शासनादेश संख्याः 1677/9–आ–4–01–603एन/2000, दिनांक 11 जून, 2001 सपठित शासनादेश संख्याः 369/8–4–07–603एन/2000, दिनांक 13 मार्च, 2007 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप संख्या–1 की सूचनाओं के साथ शासन को प्रेषित किया जाय। ऐसे प्रस्ताव के साथ अनियवार्यतः यह प्रमाण–पत्र दिया जाय कि प्रश्नगत नजूल भूमि का कब्जा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नजूल) अथवा नजूल का कार्य देख रहे अपर जिलाधिकारी और जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

भवदीय,
ह0/–
शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव